रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

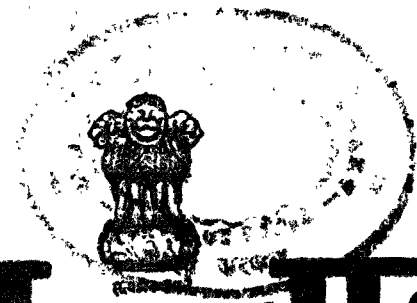

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 365] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 1986/श्रावण 13, 1908
No. 365] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 1986/SRAVANA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1986

अधिसूचनाएं

सं. 401/सीमाशुल्क/86

सा.का.नि. 996(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 262-सीमाशुल्क तारीख 16 अगस्त, 1985 में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3ख. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क कलक्टर जोन में उत्पादित या विनिर्मित या पैक किए गए किसी उत्पाद-शुल्क्य माल को जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को नमूने के रूप में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ले जाने की अनुज्ञा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय करने पर, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए दे सकता है जो जोन के विकास आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं :

परन्तु जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को नमूने के रूप में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ले जाने के लिए अनुज्ञात किए गए उत्पाद-शुल्क माल की मात्रा और समय-समय पर यथासंशोधित आयात तथा निर्यात नीति अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988, भाग (1) (जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 1—आई टी सी (पी एन)/85—88, तारीख 12 जुलाई, 1985 में प्रकाशित की गई थी) के अनुसार, जोन में किसी यूनिट की बाबत, विक्रय के प्रयोजनों के लिए जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को ले जाने के लिए अनुज्ञात किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की मात्रा, किसी एक वित्तीय वर्ष में, उक्त आयात तथा निर्यात नीति में संबंधित उत्पाद-शुल्क्य माल के ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं होगी।"

[सं. 401/सीमाशुल्क/86 फा. सं. 305/35/85-एफटीटी]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th August, 1986

NOTIFICATIONS

No. 401-CUSTOMS/86

G.S.R. 996 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 262-Customs, dated the 16th August, 1985, namely :—

In the said notification, after paragraph 3A, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"3B. Notwithstanding anything contained in this notification, the Collector of Customs may allow any excisable goods produced or manufactured or packaged within the Zone, to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of display as samples subject to such conditions and restrictions as may be specified by the Development Commissioner of the Zone in this behalf, on payment of the duty of excise leviable on such excisable goods under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) :

Provided that, the quantity of the excisable goods, so allowed to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of display as samples together with the quantity of excisable goods allowed to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of sale under and in accordance with the Import and Export Policy for April, 1985—March, 1988 Volume (I) (published with the Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1-ITC (PN)-85-88, dated the 12th April, 1985), as amended from time to time, in respect of any unit in the Zone shall not, in any financial year, exceed the limit specified in the said Import and Export Policy for the purposes of such sale of the excisable goods concerned."

[No. 401-Customs 86-F. No. 305/35/85-FTT.]

म. 402/सीमाशुल्क/86

सा.का.नि. 497(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 263–सीमाशुल्क तारीख 16 अगस्त, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3ख. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क कलक्टर जोन में उत्पादित या विनिर्मित या पैक किए गए किसी उत्पाद-शुल्क्य माल को जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को नमूने के रूप में प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए ले जाने की अनुज्ञा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क्य और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय करने पर, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए दे सकता है जो जोन के विकास आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं ;

परन्तु जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को नमूने के रूप में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ले जाने के लिए अनुज्ञात किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की मात्रा और समय-समय पर यथा संशोधित आयात तथा निर्यात नीति अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988, भाग (1) (जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 1–आई टी सी (पी एन)/85–88, तारीख 12 जुलाई, 1985 में प्रकाशित की गई थी) के अनुसार, जोन में किसी यूनिट की बाबत, विक्रय के प्रयोजनों के लिए जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को ले जाने के लिए अनुज्ञात किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की मात्रा, किसी एक वित्तीय वर्ष में, उक्त आयात तथा निर्यात नीति में संबंधित उत्पाद-शुल्क्य माल के ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं होगी।"

[म. 402 सीमाशुल्क/86 फा. सं 305/84/85-एफ.टी.टी.]

No. 102-CUSTOMS/86

G.S.R. 997 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 263-Customs, dated the 16th August, 1985, namely :—

In the said notification, after paragraph 3A, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"3B. Notwithstanding anything contained in this notification, the Collector of Customs may allow any excisable goods produced or manufactured or packaged within the Zone, to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of display as samples subject to such conditions and restrictions as may be specified by the Development Commissioner of the Zone in this behalf, on payment of the duty of excise leviable on such excisable goods under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) :

Provided that, the quantity of the excisable goods, so allowed to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of display as samples together with the quantity of excisable goods allowed to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of sale under and in accordance with the Import and Export Policy for April, 1985—March, 1988 Volume, (I) (published with the Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1-ITC (PN) /85-88, dated the 12th April, 1985), as amended from time

to time, in respect of any unit in the Zone shall not, in any financial year, exceed the limit specified in the said Import and Export Policy for the purposes of such sale of the excisable goods concerned."

[No. 402-Customs|86-F. No. 305|84|85-FTT.]

सं. 403/सीमाशुल्क/86

सा.का.नि. 998(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 227–सीमाशुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1ख के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1ग. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क कलक्टर जोन में उत्पादित या विनिर्मित या पैक किए गए किसी उत्पाद शुल्क्य माल को जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को नमूने के रूप में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ले जाने की अनुज्ञा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय करने पर, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए दे सकता है जो जोन के विकास आयुक्त द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट की जाएं "

परन्तु जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को नमूने के रूप में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ले जाने के लिए अनुज्ञात, किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की मात्रा और समय-समय पर यथासंशोधित आयात तथा निर्यात नीति अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988, भाग (1) (जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 1–आई टी सी (पी एन)/85–88, तारीख 12 जुलाई, 1985 में प्रकाशित की गई थी) के अनुसार, जोन में किसी यूनिट की बाबत, विक्रय के प्रयोजनों के लिए जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को ले जाने के लिए अनुज्ञात किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की मात्रा, किसी एक वित्तीय वर्ष में, उक्त आयात तथा निर्यात नीति में संबंधित उत्पाद-शुल्क्य माल के ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं होगी ।'

[सं. 403 सीमाशुल्क/86 फा. सं. 305/67/86–एफ.टी.टी.]

No. 403-CUSTOMS|86

G.S.R. 998 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 227-Customs, dated the 30th November, 1979, namely :—

In the said notification, after paragraph 1B, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"1C. Notwithstanding anything contained in this notification, the Collector of Customs may allow any excisable goods produced or manufactured or packaged within the Zone, to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of display as samples subject to such conditions and restrictions as may be specified by the Development Commissioner of the Zone in this behalf, on payment of the duty of excise leviable on such excisable goods under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) :

Provided that, the quantity of the excisable goods, so allowed to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of display as samples together with the quantity of excisable goods allowed to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of sale under and in accordance with the Import and Export Policy for April, 1985—March, 1988 Volume, (I) (published with the Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1-ITC (PN) |85-88, dated the 12th April, 1985), as amended from time to time, in respect of any unit in the Zone shall not, in any financial year, exceed the limit specified in the said Import and Export Policy for the purposes of such sale of the excisable goods concerned."

[No. 403-Customs|86-F. No. 305|67|86-FTT.]

सं. 404/सीमाशुल्क/86

सा.का.नि. 999(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 340–सीमाशुल्क, तारीख 13 जून, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 4 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4क. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क कलक्टर जोन में उत्पादित या विनिर्मित या पैक किए गए किसी उत्पाद-शुल्क्य माल को जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को नमूने के रूप में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ले जाने की अनुज्ञा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय करने पर, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए दे सकता है जो जोन के विकास आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं :

परन्तु जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को नमूने के रूप में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ले जाने के लिए अनुज्ञात किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की मात्रा और समय-समय पर यथासंशोधित आयात तथा निर्यात नीति अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988, भाग (1) (जो भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की लोक सूचना सं. 1–आई टी सी (पी एन)/85–88, तारीख 12 जुलाई, 1985 में प्रकाशित की गई थी) के अनुसार, जोन में किसी यूनिट की बाबत, विक्रय के प्रयोजनों के लिए जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को ले जाने के लिए अनुज्ञात किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की मात्रा, किसी एक वित्तीय वर्ष में, उक्त आयात तथा निर्यात नीति में संबंधित उत्पाद शुल्क्य माल के ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं होगी ।"

[सं. 404 सीमाशुल्क/86 फा.स. 305/32/86–एफ.टी.टी.]

No. 404-CUSTOMS|86

G.S.R. 999 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Depart-

ment of Revenue, No. 340-Customs, dated 13th June, 1986, namely :—

In the said notification, after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"4A. Notwithstanding anything contained in this notification, the Collector of Customs may allow any excisable goods produced or manufactured or packaged within the Zone, to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of display as samples subject to such conditions and restrictions as may be specified by the Development Commissioner of the Zone in this behalf, on payment of the duty of excise leviable on such excisable goods under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) :

Provided that, the quantity of the excisable goods, so allowed to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of display as samples together with the quantity of excisable goods to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of sale under and in accordance with the Import and Export Policy for April, 1985—March, 1988 Volume (1) (published with the Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1-ITC (PN) |85-88, dated the 12th April, 1985), as amended from time to time, in respect of any unit in the Zone shall not, in any financial year, exceed the limit specified in the said Import and Export Policy for the purposes of such sale of the excisable goods concerned."

[No. 404-Customs|86-F. No. 305|32|86-FTT.]

सं. 405/सीमाशुल्क/86

सा.का.नि. 1000(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 339-सीमाशुल्क, तारीख 21 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत. स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3ख. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क कलक्टर जोन में उत्पादित या विनिर्मित या पैक किए गए किसी उत्पाद-शुल्क्य माल को जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को नमूने के रूप में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ले जाने की अनुज्ञा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय करने पर, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए दे सकता है जो जोन के विकास आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं :

परन्तु जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को नमूने के रूप में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ले जाने के लिए अनुज्ञात किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की मात्रा और समय-समय पर यथासंशोधित आयात तथा निर्यात नीति—अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988, भाग (1) (जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 1-आई टी सी (पी एन)/85-88, तारीख 12 जुलाई, 1985 में प्रकाशित की गई थी) के अनुसार, जोन में किसी यूनिट की बाबत विक्रय के प्रयोजनों के लिए जोन के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान को ले जाने के लिए अनुज्ञात किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की मात्रा, किसी एक वित्तीय वर्ष में, उक्त आयात तथा निर्यात नीति में संबंधित उत्पाद-शुल्क्य माल के ऐसे विक्रय के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं होगी।"

[सं. 405/सीमाशुल्क/86 फा. सं. 305/37/85-एफ. टी. टी.]

संदीप जोशी, अवर सचिव

No. 405-CUSTOMS|86

G.S.R. 1000(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 339-Customs, dated the 21st November, 1985, namely :—

In the said notification, after paragraph 3A, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"3B. Notwithstanding anything contained in this notification, the Collector of Customs may allow any excisable goods produced or manufactured or packaged within the Zone, to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of display as samples subject to such conditions and restrictions as may be specified by the Development Commissioner of the zone in this behalf, on payment of the duty of excise leviable on such excisable goods under section 3 of the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944) :

Provided that, the quantity of the excisable goods, so allowed to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of display as samples together with the quantity of excisable goods to be taken outside the Zone to any other place in India for the purposes of sale under and in accordance with the Import and Export Policy for April, 1985—March, 1988 Volume (1) (published with the Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1-ITC (PN) |85-88, dated the 12th April, 1985), as amended from time to time, in respect of any unit in the Zone shall not, in any financial year, exceed the limit specified in the said Import and Export Policy for the purposes of such sale of the excisable goods concerned."

[No. 405-Customs|86-F. No. 305|37|85-FTT.]

SANDEEP JOSHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986